

“आदेश”

श्री महताब पुत्र श्री अब्दुल रहमान निवासी 555 लद्दावाला, मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति की गयी है कि कक्ष संख्या 14, 36, 39 व 45 लद्दावाला के नाम पूर्व परिसीमन के आधार पर होने चाहिये क्योंकि आम जनता इन वार्डों को उन्हीं नाम से जानती है अतः आप कक्ष संख्या-14 लद्दावाला तृतीय, कक्ष 36 लद्दावाला द्वितीय, कक्ष संख्या-39 लद्दावाला चतुर्थ व कक्ष संख्या-45 लद्दावाला को प्रथम करने की कृपा करें।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि परिसीमन पर की गयी आपत्ति का परीक्षण किया गया, जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध सही पाया गया। कक्ष सं0-14 लद्दावाला तृतीय, कक्ष संख्या-36 लद्दावाला द्वितीय, कक्ष संख्या-39 लद्दावाला चतुर्थ व कक्ष सं0-लद्दावाला प्रथम पूर्व की भाँति किया जाना औचित्यपूर्ण है, संस्तुति की जाती है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड सं0-14 लद्दावाला तृतीय, वार्ड संख्या-36 लद्दावाला द्वितीय, वार्ड संख्या-39 लद्दावाला चतुर्थ व वार्ड संख्या-⁴⁵लद्दावाला प्रथम तदनुसार संशोधित किया जाता है।

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर